

12 hrs.

RE MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है। चण्डीगढ़ के भ्रंदर एक लड़की को बगैर किसी मुकदमे के पुलिस थाने में रखा गया पुलिस कस्टडी में और उस को सारी रात रखा गया। सिर्फ चण्डीगढ़ में नहीं, उत्तर काशी के भ्रंदर एस डी एम ने बलात्कार किया, मुरादाबाद के भ्रंदर एस एच ओ ने बलात्कार किया... (व्यवधान)... बागपात के भ्रंदर पुलिस ने बलात्कार किया... यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। यह लोक सभा सुप्रीम बाडी है और हमें ही देश को कोई रास्ता देना है। ... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। यह बहुत गंभीर मामला है...

श्री मनोराम बागड़ी : चण्डीगढ़ सेंटर में आता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए...

श्री मनोराम बागड़ी : होम मिनिस्टर बार-बार राज्य सभा में गए हैं, लोक सभा में आकर उन्होंने बात भी नहीं की है। लोक सभा जो सुप्रीम बाडी है, देश की चुनी हुई जो आप की लोक सभा है वहां ज्ञानी जैल सिंह घर मंत्री ने आ कर एक दफा भी नहीं कहा, वहां तीन दफा कहा। मालूम देता है जैसे कोई जेठ और बहू का रिश्ता हो। वह बहू हैं जो जेठ के सामने आकर बयान भी नहीं देना चाहते कि क्या करना है क्या नहीं करना है... (व्यवधान)... आप कोई रास्ता निकालिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मेरी बात सुनिये। मैं निकालूंगा रास्ता। यह बहुत गंभीर समस्या है। स्त्रियों के साथ इस प्रकार का अमानुषिक बर्ताव कोई करता है, यह बहुत गलत है। इस को एक सामाजिक तरीके से हम को रोकना है। गवर्नमेंट और आप सब मिल कर यह करेंगे तब होगा। मैं होम मिनिस्ट्री से भी बात करूंगा। उन्होंने कल वहां बयान भी दिया है.....

श्री मनी राम बागड़ी : यहां क्यों नहीं दिया। ... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : आप 377 में आइए। इस में मैं आप को इजाजत नहीं दे सकता। इस में रूल्स इजाजत नहीं दूंगा। आप 377 में आइए। ... (व्यवधान)... मैं आप की बात सुनूंगा ... (व्यवधान) ...

1204 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

EIGHTY-FIRST REPORT OF LAW COMMISSION ON HINDU WIDOW REMARRIAGE ACT, 1856 AND ANNUAL REPORT OF CENTRAL WAKF COUNCIL FOR 1978-79

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Sir, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Eighty-first Report (Hindi) and English versions) of the Law Commission on Hindu Widows Remarriage Act, 1856. [Placed in Library. See No. LT-976/80]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wakf Council for the year 1978-79 together with Accounts and the Audit Report. [Placed in Library. See No. LT-977/80].

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा कि एक के बाद एक को सुनें आप।

अध्यक्ष महोदय : अब किम बात पर आप को कहना है ?

श्री राम विलास पासवान : मेरी बात आकाशवाणी के सम्बंध में है। साठे साहब यहां बैठे हुए हैं। लोक सभा की कार्यवाही को आकाशवाणी द्वारा जानबूझ कर सप्रेस किया जाता है। जो भी लोक सभा में कार्यवाही चलती है चाहे विलेज मोशन हो.....

अध्यक्ष महोदय : यह मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वह सुन रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : कल यहां प्रिविलेज मोशन पर मामला चला था। आप ने रूलिंग दी है। तमाम अखबारों में आया है, रेडियो पर नहीं आया है। कल इसी हाजि में कालिग अटेंशन हुआ आप के रेडियो पर नहीं आया.....

MR. SPEAKER: I shall take it up.

श्री राम बिजलस पाखवान : साठे साहब, आपके प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है लेकिन इस तरह विरोधियों की भावाच्च को दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप कह दीजिए कि आप ने कोई सप्रेषन लगा दिये है विरोधियों की बातों के ऊपर (व्यवधान) यह कोई मामूली बात नहीं है।

मैं आपसे कहता हूँ, हमारे पास यह कार्यवाही है इसको देखिए और रेडियों की साठी न्यूज को देखिए, उसमें यह कही नहीं है। राज्य सभा की सारी कार्यवाही आती है लेकिन लोक सभा की कार्यवाही नहीं आती है। यह क्या है ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE): I beg to lay on the Table a statement correcting the answer given on the 10th June, 1980 to a supplementary by Dr. Subramaniam Swamy on Starred Question No. 26 regarding Scheme for introduction of Coloured Television.

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARY TO SEE NO. 26 RE. SCHEME FOR INTRODUCTION OF COLOURED TELEVISION

While replying to a supplementary question on the reply given to Starred Question No. 26 answered in the Lok Sabha on 10th June, 1980, I had mentioned that the cost of a colour T.V. set would be 20 per cent more than that of a black and white set.

2 I have had occasion to check this up further. The correct position is that the figure of 20 per cent mentioned by me is relevant in the context of extra cost involved in colour transmission and production of programme in colour. As regards cost of a colour T.V. set, the present estimate is that excluding duties and taxes, it would be Rs. 4,500/- approximately and similarly, that of a comparable black and white T.V. set, Rs. 2,550/- approximately.

श्री मनोराम बागडी (हिसार) : गार्ड ऑफ ऑर्डर। हमारी लोक सभा का एक नियम है कि जो भी कार्यवाही हो वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिले।

अध्यक्ष महोदय : दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी

श्री मनोराम बागडी : लेकिन मुझ को सिर्फ अंग्रेजी में दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : यह कह दिया गया है। मिलेगी आपको

Shri Maganbhai Barot—Papers laid.

REPORT OF EXPERT COMMITTEE ON TAX MEASURES TO PROMOTE EMPLOYMENT AND REPORTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA RE. INDIRECT AND DIRECT TAXES (REVENUE RECEIPTS) AND (COMMERCIAL) RE. FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LTD—NANGAL UNIT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Expert Committee on Tax Measures to Promote Employment. [Placed in Library. See No. LT—979/80]

(2) A copy each of the following Reports (Hindi and English versions) under article 151(1) of the Constitution:—

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1978-79, Union Government (Civil) revenue Receipts—Volume I—Indirect Taxes and Volume II—Direct Taxes. [Placed in Library. See No. LT—980/80]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1979—Union Government (Commercial)—Part III—The Fertilizer Corporation of India Limited (Nangal Unit). [Placed in Library. See No. LT-981/80].

श्री मनोराम बागडी : मैं नहीं चाहता कि एक्साइटमेंट हो। उपदेश के पत्र तो लिख देते हैं लेकिन घर मंत्री जी को नहीं कहते कि लोक सभा में आकर (व्यवधान)

MR. SPEAKER: He will take note of it.

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने आरोप लगाया है कि आकाशवाणी के द्वारा लोक सभा की कार्यवाही को जानबूझ कर सस्पेंड किया जाता है। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण तथा प्रति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : यह गलत बात है। आपका आरोप बिल्कुल असत्य है।

श्री राम बिलास पासवान : आप जांच कराइये।

श्री बसन्त साठे : जांच कराने का मवाल नहीं है, मैं आपको पूरा व्योरा दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री मनोराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गैर-पार्लियामेंटरी शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है आप असत्य बोलते हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है असत्य कहें। आप कौन होते हैं असत्य कहने वाले (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : झूठा नहीं कहा है। झूठा शब्द अनपार्लियामेंटरी है।

Unparliamentary word is not to be retained.

श्री बसन्त साठे : अनर्द्ध अंग्रेजी में समझ में आता है। मैंने आपको झूठा नहीं कहा है, अनर्द्ध कहा है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now Calling Attention.—Shri Harikesh Bahadur.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

SITUATION ARISING OUT OF CLOUDBURST IN GYANSU VILLAGE OF UTTARKASHI IN UTTAR PRADESH

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय आपको आशा से मैं अविलंबीनीय लोकमहत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे इस पर दक्षत्व दें :

“उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी के ग्यानसु गांव में बाढ़ फटने तथा समस्त गांव के कथित नष्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप लोगों पर आ पड़ी घोर विपत्ति।”

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH

RAO): Mr. Speaker, if you permit, I will read it in English.... (Interruptions).

रेल मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : प्वाइंट आफ आर्डर सर। यहां की हमेशा यह परम्परा रही है कि हिन्दी में सवाल किए जाते रहे तो अंग्रेजी में जवाब दिए जाते रहे।

अध्यक्ष महोदय : उसकी कोई मनाही नहीं है। (व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको हिन्दी में बोलना हो हिन्दी में बोलें और अंग्रेजी में बोलना हो अंग्रेजी में बोलें। इसमें कोई मनाही नहीं है।

श्री कमला पति त्रिपाठी : मान्यवर, हिन्दी में मवाल होता है, तो अंग्रेजी में जवाब दिया जाता रहा है और अंग्रेजी में सवाल होता है, तो हिन्दी में जवाब दिया जाता रहा है। यहां की परम्परा है कि दोनों भाषायें चलती रही हैं, दोनों को चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई रुकावट नहीं है।

श्री कमला पति त्रिपाठी : इसमें अच्छा होता है कि हिन्दी में सवाल आए तो हिन्दी में जवाब दे दो अंग्रेजी में आए तो अंग्रेजी में दे दो। लेकिन दोनों चर्चें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जब स्पीकर खड़ा होता है तो सब लोग बैठते हैं। यह गलत परंपरा क्यों चलाते हैं, क्यों नियमों का उल्लंघन करते हैं... देखिए जब स्पीकर खड़ा होता है तो सब सुनते हैं। सदस्य यदि उल्लंघन करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। तरीके से चरना चाहिए। उत्तेजना से मिवाय विनाश कं कुछ नहीं मिलता है... (व्यवधान)... मेरी बात सुनिए... जब मैं बोल रहा हूँ, तब आप नहीं बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : बागड़ी जी समझे।

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी भी इस बात को समझे और सारे सदस्य समझे। सवाल इतना है कि हाउस की परंपरा है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें चलती रहीं। जिसको हिन्दी आती है, वह हिन्दी में जवाब दे अच्छा रहता है, यदि हिन्दी में सवाल आए तो हिन्दी में जवाब दे। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना चाहता है, तो वह कर सकता है। किसी सदस्य को यहां ट्रेजरी बेंच पर अंग्रेजी नहीं आती है, उसका सवाल हिन्दी में होता है तो यहां ट्रांसलेशन भी होता लेकिन अगर वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकता तो उसके लिये हम मजबूर किसे कर सकते हैं। किसी को न हिन्दी के लिए मजबूरी है, न अंग्रेजी